

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I/

दिनांक:- 17-6-2015

कार्यालय आदेश

श्री पारसमल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नम्बर 530) (जन्म तिथि-15.07.1956) कार्यालय कोषालय झालावाड़ को विभागीय आदेश संख्या 01/2015-16 दिनांक 07.04.2015 के द्वारा दिनांक 08.04.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किये गये थे।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पारसमल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध सेवानिवृत्ति तिथि 08.04.2015 तक :-

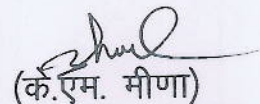
1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I/4855-4859 दिनांक:- 17-6-2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. कोटा
2. कोषाधिकारी, झालावाड़।
3. श्री पारसमल जैन, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नम्बर 530) कार्यालय कोषालय झालावाड़।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।


(क.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)